डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 मनोज कुमार वगै0 बनाम रामखिलाडी वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 114/2022

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दव व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 2760 रकबा 0.10, 2761 रकबा 0.06, 2764 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई एवं खसरा नंबर 2310 रकबा 0.04, 3015 रकबा 0.03 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 3193 रकबा 0.20, 3605 रकबा 0.17, 4022/2314 रकबा 0.32, 44 रकबा 0.14 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 2867 रकबा 0.28, 3845/2865 रकबा 0.23 वाके नगला बंजारा एवं खसरा नंबर 2868 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई पर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी में से प्रत्येक को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान में चले आ रहे इन्द्राजात कलमजन किए जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को वर्तमान में उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात यथावत् रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – बाबत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05/08/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 5/8/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. मनोज कुमार नाबालिग जरिए माता भावना देवी बेवा भूपेन्द्र सिंह बली [illegible] माता जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सलोनी कुमारी नाबालिग जरिए माता भावना देवी बेवा भूपेन्द्र सिंह सरपरस्त माता जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भावना देवी बेवा भूपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जि[illegible] भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिल[illegible] भरतपुर।
2. खैमसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

– असल प्रतिवादीगण

5. उदयसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. कुवरसैन पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. चन्दन पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. जीती पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. विजयसिंह पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. बीआरकेजीबी शाखा डहरा जरिए शाखा प्रबंधक।

–तरतीवी प्रतिवादीगण

5/8/25
सहायक [illegible]
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 114/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/217
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.08.2025

1. मनोज कुमार नाबालिग जरिए माता भावना देवी बेवा भूपेन्द्र सिंह बली सरपरस्त माता जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सलोनी कुमारी नाबालिग जरिए माता भावना देवी बेवा भूपेन्द्र सिंह बली सरपरस्त माता जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भावना देवी बेवा भूपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. खैमसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
4. सब रजिस्ट्रार नदबई।

— असल प्रतिवादीगण

5. उदयसिंह पुत्र जोरमल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. कुवरसैन पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. चन्दन पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. जीती पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. विजयसिंह पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. बीआरकेजीबी शाखा डहरा जरिए शाखा प्रबंधक।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित श्री रामकिशन सूनियां एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण में से वादीगण संख्या 1 व 2 नाबालिग हैं जिनका वली सरपरस्त उनकी माता भावना देवी को बनाया गया है जिसका हित नाबालिगों के विपरीत नहीं है। इसके अलावा अन्य सभी पक्षकार वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं। दावा लड़ने योग्य हैं।
2. यह कि खाता संख्या 140 के आराजी खसरा नंबर 2760 रकबा 0.10, 2761 रकबा 0.06, 2764 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई एवं खसरा नंबर 2310 रकबा 0.04, 3015 रकबा 0.03 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 3193 रकबा 0.20, 3605 रकबा 0.17, 4022/2314 रकबा 0.32, 44 रकबा 0.14 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 2867 रकबा 0.28, 3845/2865 रकबा 0.23 वाके नगला बंजारा एवं खसरा नंबर 2868 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई स्थित है।
3. यह कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामखिलाडी व प्रति. संख्या 2 खैमसिंह की पैतृक आराजी है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 कर्ताखानदान होने के कारण हमारे हिस्से की आराजी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गई है। जबकि उक्त विवादित आराजी प्रति. संख्या 1 को मृतक पिता हीरालाल अर्थात हमारे बाबा के मरणोपरांत जरिए नामा0 संख्या 6 विरासतन दिनांक 11.04.1975 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व जमाबंदी संवत 2033–2036 एवं 2036–40 पेश है। नामा0 सं. 186 भी संलग्न है जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त संपत्ति वादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें प्रत्येक बालिग व नाबालिग का हक व अधिकार है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को रामखिलाडी के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर सभी वादीगण व प्रति. सं. 1 व 2 के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी हैं।
4. अंत में प्रार्थना की कि मद संख्या 2 वादपत्र में वर्णित आराजी जो कि अकेले प्रति. सं. 1 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रति. संख्या 1 व 2 के मध्य हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जाए एवं वादीगण के हिस्से से वादीगण को जोतने बोने व उपयोग उपभोग करने एवं मदाखलत व मजाजमत न करने हेतु एवं दीगर व्यक्तियों को रहनवयमुन्तकिल न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 10 से कोई रिलीफ नहीं चाहने के कारण दावा से तर्क किया गया तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध तामली बाबजूद न्यायालय उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दावा के समर्थन में हाल जमाबं[illegible] 2033–36 वाके ग्राम हंतरा, जमाबंदी संवत 2037–40, नकल [illegible] संवत 2060, नकल

5/8/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण संख्या 186 एवं 6 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में भावना बेवा भूपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी हंतरा के शपथ पत्र पेश किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई जिसमें वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि हाल विवादित आराजी खसरा नंबर खाता संख्या 140 के आराजी खसरा नंबर 2760 रकबा 0.10, 2761 रकबा 0.06, 2764 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई एवं खसरा नंबर 2310 रकबा 0.04, 3015 रकबा 0.03 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 3193 रकबा 0.20, 3605 रकबा 0.17, 4022/2314 रकबा 0.32, 44 रकबा 0.14 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 2867 रकबा 0.28, 3845/2865 रकबा 0.23 वाके नगला बंजारा एवं खसरा नंबर 2868 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजीयात पर जमाबंदी संवत 2033–36 एवं 2037–40 वाके ग्राम हंतरा में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हीरालाल के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में वाहिस्सा बराबर का अंकन हो रहा है। तथा नामान्तकरण संख्या 186 एवं 6 से उक्त विवादित आराजी का दाखिल खारिज प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज किया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि मृत पिता का उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्री एवं उसकी विधवा पत्नी होती है। जिस कारण वादीगण का आराजी में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अतः वादीगण का विरासतन खातेदारी की आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार निहित है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 2760 रकबा 0.10, 2761 रकबा 0.06, 2764 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई एवं खसरा नंबर 2310 रकबा 0.04, 3015 रकबा 0.03 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 3193 रकबा 0.20, 3605 रकबा 0.17, 4022/2314 रकबा 0.32, 44 रकबा 0.14 वाके हंतरा एवं खसरा नंबर 2867 रकबा 0.28, 3845/2865 रकबा 0.23 वाके नगला बंजारा एवं खसरा नंबर 2868 रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके नगला बंजारा तहसील नदबई पर [illegible] को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:32 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड में दर्ज आराजी में से प्रत्येक को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान में चले आ रहे इन्द्राजात कलमजन किए जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को वर्तमान में उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात यथावत् रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.8.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं ... नदबई (भरतपुर) राज. सत्यमेव जयते

5/8/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner